पत्रसंख्या-वा0अनु०/परिपत्र/2025-26/ 1064 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(वाद अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 25 सितम्बर, 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 , राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त उपायुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उ0प्र0।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-129 दिनांक 07.05.2025 से फील्ड में कार्यरत विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी किये जा रहे नोटिस एवं पारित आदेश को त्रुटिहीन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। यह संज्ञान में आया है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मा0 न्यायालय के समक्ष दाखिल रिट याचिकाओं में विभागीय पक्ष का बचाव किया जाना कठिन हो रहा है। इन त्रुटियों के कारण मा0 न्यायालय द्वारा Cost Award अथवा विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी निर्देश दिये जा रहे हैं।

फील्ड में कार्यरत विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी किये जा रहे नोटिस एवं पारित आदेश को त्रुटिहीन किये जाने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं –

1. विभागीय अधिकारियों द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं में न्याय निर्णयन/ अपीलीय कार्यवाहियों में व्यापारी की व्यक्तिगत सुनवाई (Personal Hearing) का अवसर अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह मत स्थापित किया है कि व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिसका अनुपालन किया जाना अपरिहार्य है। पूर्व में इस संदर्भ में परिपत्र संख्या-1518 दिनांक 28.11.2024, परिपत्र संख्या-1726 दिनांक 27.03.2024 तथा परिपत्र संख्या-482 दिनांक 13.06.2024 जारी किये गये हैं।

   जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-75 (4) में प्रावधानित है कि -
   Section-75 (4) An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty, or where any adverse decision is contemplated against such person.

2. विभागीय अधिकारियों द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं में पारित किये जाने वाले आदेश में कोई विवेचना नहीं की जाती है, अपितु अधिकांश मामलों में आदेश कारण बताओं नोटिस (DRC-01) की नकल मात्र होते हैं। सुविचारित एवं मुखरित आदेश (Speaking Order) न पारित करते हुए "कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर" अंकित करते हुए मॉग/आदेश पारित किया जाता है। पुनः जिन मामलों में उपस्थित होते हुए स्पष्टीकरण दिया जाता है उन मामलों में भी संक्षिप्त रूप से आदेश पारित किया जाता है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है। पारित किये जाने वाले एकपक्षीय आदेशों में भी कर/अर्थदण्ड को आरोपित किये जाने हेतु आधारों की समुचित विवेचना की जानी चाहिए। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की युगल पीठ ने रिट टैक्स संख्या-606/2025, M/s Hari Shanker Transport के बाद में दिनांक-11.03.2025 को अंतिम निर्णय देते हुए आदेश पारित किया है। जिसके मुख्य अंश निम्नवत है-

Scanned with OKEN Scanner

7. A bare look at the order impugned dated 27.04.2024 passed under Section 73(9) of the Act reveals that the same only makes reference to issuance of two notices, the fact that they have not been responded to, and a demand has been raised.

8. The manner of passing of order dated 27.04.2024 falls foul of the requirements of Section 75(6) of the Act, which requires that 'the proper officer, in his order shall set out the relevant facts and the basis of his decision', the statutory requirements for passing an order by setting out relevant facts and basis for the decision are totally missing from the order dated 27.04.2024. Even if no response was filed to the notices issued under Sections 61 and 73 of the Act, it was incumbent on respondent no.2 to pass an order in compliance of the provisions of Section 75(6) of the Act, as a final order should be self contained and merely making reference to the previous notices while passing the said order does not suffice for making it a self contained order.

उपरोक्त वर्णित आदेश का पूर्णतः संज्ञान लेते हुए प्रथम अपीलीय/न्याय निर्णयन में नोटिस के प्रत्येक बिन्दु पर बिन्दुवार समीक्षा करते हुए तर्कपूर्ण ढंग से मुखरित आदेश (Speaking Order) पारित किया जाना चाहिए।

3. विभिन्न प्रकरणों में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आदेश पारित करते समय आरोपित किये जाने वाले कर, अर्थदण्ड एवं ब्याज की राशि का उल्लेख किये जाने के स्थान पर यह अंकित कर दिया जाता है कि धारा-73 के अनुसार (as per section- 73 of the act) है। यह विधिक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि धारा-75(7) में स्पष्ट रूप से अंकित है-

Section-75 (7) The amount of tax, interest and penalty demanded in the order shall not be in excess of the amount specified in the notice and no demand shall be confirmed on the grounds other than the grounds specified in the notice.

यदि व्यापारी के विरुद्ध कोई अतिरिक्त तथ्य प्रकाश में आए अथवा कोई अन्य देय मांग शेष हो, ऐसे पृथक तथ्य अथवा मांग के संबंध में पूरक कारण बताओ नोटिस जारी कर, व्यापारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के उपरांत ही विधिसम्मत आदेश पारित किया जाये। अनेक परिस्थितियों में मूल कारण बताओ नोटिस को निरस्त कर, छूटे हुए बिंदुओं को समाहित करते हुए पूरक कारण बताओ नोटिस निर्गत की जाती है। ऐसी पूरक कारण बताओ नोटिस को भी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही जारी कर धारा-75(7) का पालन करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया जाये।

4. जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-74 के अंतर्गत न्याय-निर्णयन की कार्यवाही केवल उन्हीं मामलों में अपेक्षित है, जहाँ जानबूझकर, धोखाधड़ी, या गलत जानकारी प्रस्तुत कर करापवंचन किया गया हो, गलत रिफंड प्राप्त किया गया हो अथवा आई0टी0सी0 का दुरुपयोग किया गया हो। तथापि, यह देखा गया है कि फील्ड स्तर पर न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा धारा-74 की कार्यवाही करते समय उपर्युक्त तथ्यों का अपेक्षित संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मा० न्यायालय के समक्ष आदेशों को स्थापित किया जाना कठिन हो जाता है।

अतः यह आवश्यक है कि धारा-74 के अंतर्गत नोटिस एवं आदेश निर्गत करते समय धारा-74 में वर्णित सभी आवश्यक ingredients को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करते हुए ही आदेश पारित किए जाएँ, ताकि वे विधिक दृष्टि से मा0 न्यायालय के समक्ष स्थापित हो सके।

Scanned with OKEN Scanner

5. माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा-73/74/107 के अन्तर्गत न्याय-निर्णयन/प्रथम अपील की कार्यवाही में व्यक्तिगत सुनवाई (Personal Hearing) का अवसर किसी भी दशा में कारण बताओं नोटिस का उत्तर दिये जाने की अन्तिम तिथि एवं नियत समय से पूर्व नहीं होना चाहिए।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारी उपरोक्त बिंदुओं से अवगत होते हुए यह सुनिश्चित करें कि माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेशों में कोई विधिक कमी/त्रुटि न रहे ।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा किसी प्रकार की शिथिलता की दशा में सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए समुचित विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

24/9/25

(डा0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा पारित किये जाने वाले न्याय निर्णयन आदेशों को विधिक रूप से सबल एवं त्रुटिहीन बनाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।
2 - अपर आयुक्त ग्रेड-1/2 (उ0न्या0कार्य), राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ।
3 - संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

24/09/25

अपर आयुक्त (विधि), राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner